Supplement—II Regd. No. CHD/0093/2015–2017

Haryana Government Gazette

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 36-2016] CHANDIGARH, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2016 (BHADRA 15, 1938 SAKA)

General Review

समीक्षा

दिनांक 8 अगस्त, 2016

श्रम विभाग, हरियाणा की वर्ष 2014 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा।

क्रमांक एस0टी0/एस0ए0–21/2016/30896.—

1. दिनांक 1 जनवरी, 2014 से 20 नवंबर, 2014 तक श्री आंनद मोहन शरण आई०ए०एस०, दिनांक 21.11.2014 से 31.12.2014 तक श्री अरूण कुमार, आई०ए०एस० श्रम आयुक्त, हरियाणा, चण्डीगढ़ में कार्यरत रहे।

2. विभाग का प्रशासनिक नियंत्रण दिनांक 01.1.2014 से 13.11.2014 तक श्री आर.पी.चन्द्र, आई०ए०एस०, अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार एवं दिनांक 14.11.2014 से 31.12.2014 तक श्रीमती शशी गुलाटी, आई०ए०एस०, प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार के पास रहा।

3. इस वर्ष की रिपोर्ट का वर्णन निम्न प्रकार हैः–

(क) वर्ष 2014 के दौरान हड़ताल व तालाबन्दी के 9 केस हुए तथा सभी कार्यबन्दियों का सफलतापूर्वक निपटारा करवाया गया तथा एक कार्यबंधी सरकार द्वारा निषिद्ध कराई गई। इन कार्यबन्दियों के कारण 3337 श्रमिकों पर प्रभाव पड़ा और 177956 श्रम दिवसों की क्षति हुई है। मजदूरी तथा उत्पादन क्षति क्रमशः 213.38 लाख़ तथा 54.44 करोड़ रुपये हुई है।

(ख) समझौता मशीनरी के पास 4118 केस आये जिनमें से 1223 मामलों में समझौता करवाया गया। 412 मामले वापिस लिये गये, 33 मामले रद्ध व फाईल किये गये तथा 2001 विवाद अदालती निर्णय के लिये भेजे गये। अतः वर्ष के अन्त में 449 मामले लम्बित रहे।

(ग) वर्ष के आरम्भ में 313 पंचाट तथा 25 समझौते परिपालना हेतु लम्बित थे वर्ष के दौरान 283 पंचाट/समझौते प्राप्त हुये। कुल 596 पंचाट तथा 25 समझौतों में से 153 पंचाट/समझौते लागू करवाये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में 443 पंचाट तथा 25 समझौते परिपालना के लिए लम्बित रहे। पंचाट की परिपालना क्रमशः 25.67 प्रतिशत रही।

(घ) इसके अतिरिक्त विभाग के क्षेत्रीय स्टाफ ने श्रमिकों को देरी से वेतन देने, कम वेतन देने, नौकरी से हटाने तथा काम के घण्टों आदि से सम्बन्धित 1737 शिकायतों पर कार्यवाही की तथा 1508 शिकायतों का श्रमिकों की सन्तुष्टि अनुसार निपटारा करवाया गया। 229 शिकायते वर्ष के अन्त मे लम्बित रही। इस प्रकार शिकायतों के निपटान का प्रतिशत 86.82 रहा।

(ङ) वर्ष के आरम्भ में 5911 औद्योगिक संस्थाएं आवर्णित थी, जहां 50 या इससे अधिक श्रमिक कार्य करते थे। वर्ष के आरम्भ में 1663 औद्योगिक संस्थाओं में स्थाई आदेश प्रमाणित थे। वर्ष के दौरान 94 स्थाई आदेश प्रमाणित किये गये। इस प्रकार रिपोर्ट की अवधि के अन्त में 1757 संस्थाओं के पास प्रमाणित आदेश थे जिनमें लगभग 273409 श्रमिक कार्य करते थे।

(च) वर्ष के आरम्भ में 1605 यूनियन पंजीकृत थी तथा 24 नई यूनियन पंजीकृत की गई एक युनियन अपंजीकृत हुई। इस प्रकार वर्ष के अन्त में इनकी संख्या बढ़ कर 1628 हो गई।

(छ) इस अवधि के दौरान 195 नये कारखाने कारखाना अधिनियम, 1948 के अन्तर्गत पंजीकृत किये गये। इस प्रकार वर्ष के अन्त में पंजीकृत कारखानों की संख्या बढ़कर 11460 हो गई। इन पंजीकृत कारखानों में 858087 श्रमिकों को रोजगार मिला हुआ है। वर्ष के दौरान पंजीकृत कारखानों में 105 दुर्घटनाएं हुई जिनमें 41 घातक तथा 64 गम्भीर थी।

(ज) पंजाब दुकानात तथा वाणिज्य संस्थापनाओं अधिनियम, 1958 पूरे राज्य में लागू रहा। दुकानों, वाणिज्यिक संस्थापनाओं, सिनेमा एवं होटल आदि की सख्यां 345427 रही। जिन्होंने 1088439 श्रमिकों को रोजगार प्रदान किया हुआ हैं।

(झ) समीक्षा अधीन वर्ष के दौरान विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तर्गत 32332 निरीक्षण किये गये। 5536 मामलों में चालान दायर किये गए। 5738 मामले दोषपूर्ण सिद्ध हुए जिनके फलस्वरुप 1,66,35,566 लाख रुपये जुर्माने के रूप में वसूल किये गये तथा 382 मामलो में चेतावनियां दी गई।

(ञ) श्रम कल्याण बोर्ड ने औद्योगिक श्रमिकों के आश्रितों/विधवाओं को 545.40 लाख रुपये अनुदान के रूप में प्रदान किये। इसके अतिरिक्त कामगारों की लड़कियों की शादी के उत्सव पर 585.81 लाख रु0 1151 लड़कियों को वर्ष 2014 के दौरान खर्च किये गये।

(ट) हरियाणा भवन और अन्य संन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड दिनांक 02.11.2006 से अस्तित्व में आया है। यह बोर्ड निर्माण कर्मकारों के लिए विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं चला रहा है। बोर्ड ने मृत्यु लाभ, अन्तिम संस्कार, चलती फिरती डिस्पैन्सरीज् के द्वारा कर्मचारी की चिकित्सा सुविधा तथा मोबाईल शौचालय एवं शिशु गृह की स्थापना आदि पर वर्ष 2014 में 13.30 करोड़ रुपये खर्च किये है, जिसे एकत्र की गई उपकर की राशि से जुटाया गया है। उपकर की राशि वर्ष 2014 में 251.72 करोड़ रुपये एकत्रित की गई है।

अनुराग रस्तोगी,
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
श्रम विभाग।

REVIEW OF ANNUAL ADMINISTRATIVE REPORT ON THE WORKING OF LABOUR DEPARTMENT, HARYANA FOR THE YEAR 2014

The 8th August, 2016

No. ST/SA-21/2016/30896.—

1. Sh. Anand Mohan Sharan, IAS remained posted as Labour Commissioner, Haryana from 1st January, 2014 to 20th November, 2014 and Arun Kumar, IAS from 21st November, 2014 to 31st December, 2014.

2. The Administrative Control of the Department remained under Sh. R.P. Chander, IAS, Additional Chief Secretary to Government of Haryana from 1st January, 2014 to 13th November, 2014 and Smt. Shashi Gulati, IAS, Principal Secretary to Government of Haryana from 14th November, 2014 to 31st December, 2014.

3. During the year under report:-

a. There were 9 work Stoppages during the year 2014. All work Stoppages were resolved successfully and one work stoppage was prohibited by Government. These work-stoppages affected 3337 workers and resulted in a loss of 177956 mandays. The loss of wages and production was 213.38 lac and 54.44 Crore respectively.

b. The conciliation machinery of the department handled 4118 disputes. Out of these settlements were brought out in 1223 cases. 412 cases were withdrawn, 33 were filed/rejected and 2001 were sent for adjudication and 449 disputes remained pending at the end of the year.

c. 313 awards and 25 agreements were pending for implementation at the beginning of the year. 283 awards / agreements were added during the year under review. Out of these 596 awards and 25 agreements, 153 awards/agreements were got implemented. Thus 443 awards and 25 agreements remained pending for implementation at the end of the Year. As such the percentage of implementation of awards and agreements comes to 25.67%.

d. 1737 complaints of the workers regarding delayed payment of wages, less payment of wages, termination of services, leave and hours of work etc. were handled by the field staff of the department, of which 1508 were settled to the satisfaction of the workers leaving a balance of 229 complaints pending at the close of the year. As Such 86.82 percentages of complaints have been settled.

e. There were 5911 establishments employing 50 or more worker. Out of it 1663 industrial establishments had certified Standing Orders. 94 Standing Orders were certified during the year. Thus the number of certified Standing Orders at the end of the year rose to 1757 giving employment to about 273409 workers.

f. At the beginning of the year there were 1605 registered Trade Unions in the State. During the year 24 new unions were registered and one union was de-registered thus at the end of the year the number increased to 1628.

g. 195 new factories were registered under the Factories Act, 1948. Thus the total number of registered factories rose to 11460 at the end of the year giving employment to 858087 workers. There occurred 105 accidents in registered factories during the year of which 41 were fatal and 64 serious in nature.

h. The Punjab Shops and Commercial Establishments Act, 1958 remained applicable in whole of the State. The number of shops, commercial establishments, cinemas and hotels etc. were 345427. These gave employment to 1088439 workers.

i. During the year under review 32332 inspections were conducted under various labour laws. 5536 prosecutions were launched and convictions were obtained in 5738 cases. As a result of it a sum of 16635566/- lacs was realised as fine. Warnings were issued in 382 cases.

j. Ex-gratia grant of 545.40 Lac was disbursed to the dependents/widows of deceased industrial workers and an amount of 585.81 lacs have been spent for 1151 to the daughter of industrial workers on the occasion of marriage during the year 2014.

k. The Haryana Building and Other Construction Workers Welfare Board has come into force *w.e.f.* 02.11.2006. The Board is running various schemes for the welfare of registered building and other construction workers in the State. The board has incurred an expenditure of 13.30 crore for providing benefits under various schems like; Death benefit, Funeral Assistance, Kanyadan scheme, Maternity benefit, Education scholarship scheme, Medical treatment through mobile dispensary vans and Health Insurance Plan etc. Facilities of mobile toilets, mobile crèches and labour shed at chowks of the important towns of the State are also being provided to the beneficiaries and their family members during the year 2014. The funds so collected as cess is primarily utilized for the welfare of registered building and Other Construction workers. However, the cess amount was collected `251.72 crore during the year 2014.

ANURAG RASTOGI,
Principal Secretary to Government Haryana,
Labour Department.

पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग, हरियाणा, चण्डीगढ़ की वर्ष 2014–15 की वार्षिक प्रशासनिक रिपोर्ट की समीक्षा

दिनांक 18 अगस्त, 2016

क्रमांक 8/23–2004–पुरा0/5496–97.—

हरियाणा राज्य में पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग का उद्भव 1972 में स्वतंत्र रूप से एक निदेशालय के रूप में हुआ। तब से पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग ने विभिन्न क्षेत्रों में कई विशेष उपलब्धियां प्राप्त की हैं।

इस विभाग की प्रमुख गतिविधियां पुरातात्विक अवशेषों का अन्वेषण एवं उत्खनन, प्राचीन स्मारकों/स्थलों का संरक्षण, संग्रहालय सम्बन्धी गतिविधियां तथा पुरावस्तुओं का रसायनिक उपचार करना आदि है।

विषयाधीन वर्ष में नान–प्लान पक्ष पर 214.05 लाख रुपए, प्लान पक्ष पर 400.00 लाख रुपए की बजट व्यवस्था थी, जिसके विरुद्ध 111.52 लाख रुपए नान–प्लान पक्ष पर 366.29 लाख रुपए प्लान पक्ष पर खर्च हुए हैं।

वर्ष 2014–15 में विभाग ने गांव दिदोली जिला रेवाड़ी से पत्थर की एक जैन मूर्ति, जम्मू कॉलोनी, जिला यमुनानगर से 111 सिक्के, गांव मेंहदा, जिला हिसार से ताम्बे के 80 सिक्के तथा सदर थाना फतेहाबाद से 1880 ताम्बे के सिक्के प्राप्त किये गये।

चण्डीगढ़:
दिनांक 18 मार्च, 2016.

विजय वर्धन,
अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग।

Review on the Annual Administrative Report of Archaeology and Museums Department, Haryana for the year 2014-15.

The 18th August, 2016

No. 8/23-2004/Pura/5496-97.—

The Department of Archaeology & Museums, Haryana started functioning as an independent directorate in the year 1972. Since then the Archaeology & Museums Department has made remarkable achievement in defferent fields of its activities.

The main functions of the department include excavation and exploration, conservation of ancient monuments/sites, museum activities and chemical treatment of antiquities.

During the period under report a budget provision of Rs. 214.05 Lac was made on the Non-Plan side, 400.0 Lac on Plan side against which Rs. 111.52 Lac on Non-plan, 366.29 Lac on Plan side were spent.

During the year 2014-15, One Jain Stone sculpture from village Dedoli, District Rewari, 111 coins from Jammu-colony, District Yamuna Nagar, 80 Copper Coins from village Mehanda District Hissar, 1880 copper coins from Sadar Station, District Fatehabad were collected by the department.

Chandigarh:
The 18th March, 2016.

VIJAI VARDHAN,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Archaeology & Museums Department.

54607—C.S.—H.G.P., Chd.